न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3/1/2022	04.01.2022	12.05.2022

बउनवान

1–सुरेशचन्द उम्र करीब 46 साल पुत्र श्री चन्दरराम जाति खटीक निवासी ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर, राजस्थान

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान

–– अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू0राजस्व अधि0

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 57 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी द्वितीय वाके ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर राजस्थान हैं, जिस आराजी में भागीरथ पुत्र स्व. किशोरी का 1/6 हिस्सा तथा तुलसा पत्नि स्व. किशोरी का 1/6 हिस्सा तथा नारायण पत्र श्रवण का 1/2 हिस्सा था। जिन अभिलिखित खातेदार भागीरथ पुत्र स्व. किशोरी ने अपने 1/6 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 1/12 हिस्सा व तुलसा पत्नि स्व. किशोरी ने अपना 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण अंश व नारायण पुत्र श्रवण ने अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अंश का विक्रय मिन प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14–07–2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1080 में पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2014002576 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3401 के पृष्ठ संख्या 248 से 256 उप पंजीयक प्रथम अलवर राजस्थान द्वारा कर दिया। जिस बयनामा के आधार पर प्रार्थी के हक में इंतकाल बय संख्या 237 प्रार्थी के हक में दर्ज व तस्दीक हो चुका है। प्रार्थी की जाति "खटीक" हैं, लेकिन उक्त बयनामा व इंतकाल के विपरीत उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड ताहाल में प्रार्थी की जाति खटीक के स्थान पर " बैरवा " दर्ज हो गई है। इसलिए प्रार्थी को उक्त आराजी का समुचित उपयोग उपभोग करने में परेशानी पदा हो रही है। इसलिए उक्त गलती को दुरूस्त करने के लिए यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी को श्रीमान के समक्ष पेश करना न्यायहित में अतिआवश्यक हुआ है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है, जिसको उक्त संबंध में पूर्व में जानकारी नही थी। अब प्रार्थी ने उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर उक्त जानकारी हुई है। उक्त गलती स्लिपिंग ऑफ दी पैन की गलती हैं, जो

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

एक तकनीकी लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आती है। जिसे दुरूस्त किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है। उपरोक्त वर्णित सूरत में प्रार्थी उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये जति के अंकन " बैरवा" को कलमजन कर उसके स्थान पर " खटीक " का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराने का नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन प्रार्थी की जाति " बैरवा " को कलमजन कर उसके स्थान पर " खटीक " का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, अलवर से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया है,कि जमाबन्दी सेग्रिगेशन के समय प्रार्थी सुरेश चन्द पुत्र चन्दर राम की जाति सहवन से खटीक के स्थान पर बैरवा दर्ज हो गई है। प्रार्थी की सही जाति खटीक दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार एवं प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात व शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाता है। आराजी हाल खसरा नंबर नम्बर 108 रकबा 0.28 हैक्टर बारानी द्वितीय वाके ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर में प्राथी की जाति बैरवा के स्थान पर खटीक दर्ज कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर